MR. CHAIRMAN: Shri Ashwini Vaishnaw to move that the Bill be passed.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, Bills for consideration and passing -- The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023, to be discussed together. *...(Interruptions)...* Shri Amit Shah to move the motion for consideration of the following Bills as passed by Lok Sabha. *...(Interruptions)...* The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023. *...(Interruptions)...* Hon. Minister. *...(Interruptions)...*

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023,
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
&
The Bharatiya Sakshya Bill, 2023

गृह मंत्री ; **तथा सहकारिता मंत्री** (**श्री अमित शाह**): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर,लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर,लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Motions moved. There is one Amendment each for each of the Motions moved for consideration of the above said Bills, as passed by Lok Sabha, by Shri Elamaram Kareem for reference of Bill to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the Amendment at this stage without any speech. ...*(Interruptions)*... Not moved. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: * ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I now call upon Members whose names have been received for participation in the discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Shri Sujeet Kumar. ...*(Interruptions)*... Not present. ...*(Interruptions)*... Shri Brij Lal. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Lal. ...*(Interruptions)*... Nothing has gone on record. ...*(Interruptions)*... Shri Brij Lal. ...*(Interruptions)*...

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण बताया था और उसमें एक पंच प्रण गुलामी की सभी निशानियों को मिटाना है। आज वह दिन आ गया है। ...(**व्यवधान**)... आज अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून, उनकी पार्लियामेंट द्वारा पास कानून समाप्त होंगे और भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 उनका स्थान लेंगे। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं थोड़ा उसके इतिहास के बारे में जाना चाहूंगा। 1857 का First war of Independence हुआ। उसमें बैरकपुर से शुरुआत हुई और मंगल पांडे जी ने शुरुआत की। उनको मातादीन भंगी जी ने प्रोत्साहन दिया था। उस समय हमारे वाल्मीकि समाज को हिकारत की दृष्टि से भंगी कहा जाता था। ...(**व्यवधान**)... वहां से विद्रोह शुरू हुआ और वह मेरठ तक आ गया, जब धन सिंह गुर्जर, जो कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बगावत की शुरुआत की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, अवध में बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, ऊदा देवी, मौलवी हमीदुल्लाह, इस तरह से पूरे देश में जो फैला, उनकी नींव हिल गई। ...(**व्यवधान**)...

* Not Recorded.

अब उन्होंने सोचा कि भारतीयों को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? उनका IPC (इंडियन पीनल कोड) 163 वर्ष पहले 1860 में आया था। उनका उद्देश्य दंड देना था। भारतीय दंड संहिता और आज जो यह बिल आया है, उसका नाम 'न्याय संहिता' है। हम दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। सर, भारतीय संविधान बना और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस अपने कार्यकाल में बहुत दिनों तक रही, लेकिन इन्होंने गुलामी के निशानों को मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... ये तो कब के समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की। ...(**व्यवधान**)... आज माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ये कानून लाए हैं। उसके बाद हम जो नया कानून ला रहे हैं, मैं उसकी एक summary बताना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

महोदय, भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं और अब 358 हो गई हैं। पहले 23 चैप्टर्स थे, अब 20 हो गए हैं। इसमें 22 सेक्शन्स और सब-सेक्शन्स जोड़े गए हैं, 19 सेक्शन्स हटा दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1898 में बना था और अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। जब मैं होम अफेयर्स कमेटी में इस पर डिस्कस कर रहा था, तो कांग्रेस के कई पुराने मेम्बर्स ने कहा कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है? नागरिक सुरक्षा का मतलब civil defence है। मैंने कहा कि civil defence नहीं है। संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए, संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उसी की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम बना है। इसमें कुल 484 सेक्शन्स थे। अब 531 सेक्शन्स हुए हैं और पहले 37 चैप्टर्स थे, अब 39 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। इसमें 39 Sub-sections, clauses, 40 provisos, 4 explanations जोड़े गए हैं और 177 सेक्शन्स को मॉडिफाई किया गया है। इसी तरह से अंग्रेजों द्वारा पारित कानून The Evidence Act, 1872 जो था, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएगा। उसमें 167 सेक्शन्स थे और अब उसमें 170 सेक्शन्स हैं। महोदय, अब उसमें 170 सैक्शन्स हैं - दो सैक्शन्स, 6 सब- सैक्शन्स और एक शैड्यूल उसमें ऐड किया गया है।

महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता पर आता हूं। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया, सबसे पहले उन्होंने उन धाराओं को रखा, जैसे सरकारी अधिकारियों से विवाद को उन्होंने जोड़ा, क्वाइन्स को गलत तरीके से बनाना, इस टाइप की चीज़ों को उन्होंने जोड़ा। जो सबसे बड़ा अपराध है मानव वध, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यभिचार, वे उनके लिए प्राइयॉरिटी नहीं थी, इसलिए मानव वध को स्थान 302 पर मिला और व्यभिचार जो था, बलात्कार था, उसको 376 पर स्थान मिला।

महोदय, यह जो कानून न्याय संहिता का आया है, इसमें सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया है और हम उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। चूंकि सजा तो अंग्रेज़ों की शब्दावली थी। इसमें एक शब्द गैंग रेप का लाया गया है, अगर 18 साल से कम की महिला बच्चे के साथ गैंग रेप होता है, तो इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। महोदय, इसके अलावा अगर किसी

महिला के साथ गैंग रेप होता है, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो उसमें आजीवन कारावास और 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, इसमें एक शब्द आतंकवाद का जोड़ा गया है। मुझे अफसोस है कि हमारे अपोजिशन के मित्र यहां पर नहीं हैं। आतंकवाद आज यह खाली देश की ही नहीं बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री जी विभिन्न मंचों से इसको हमेशा उठाते रहे हैं कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए।

महोदय, 1985 में टाडा कानून बना था। टाडा अधिनियम यह था – जब पंजाब में आतंकवाद फैल चुका था, हमारे एक प्रधान मंत्री जी की हत्या हो चुकी थी और उस समय में मैं सरकारी सेवा में था, ऐज़ एसपी था, तब हमने इसका प्रयोग किया और उस समय टेररिज़्म को रोकने में यह बड़ा फायदेमंद रहा। महोदय, इस टाडा को कांग्रेस ने 1995 में विद्ड्रॉ कर लिया, रिपील कर दिया, जब हमें इसकी जरूरत थी। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों, सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, पलायन हो रहा था, कश्मीर में आतंकवाद पीक पर था, तब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में अपनी तुष्टिकरण की नीति के तहत इस टाडा कानून को वापस ले लिया।

महोदय, उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने। उनके समय में 2002 में पोटा लाया गया। यह किस संबंध में लाया गया – अभी हम लोगों ने 13 दिसम्बर को शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और उन्होंने अपना बलिदान देकर पार्लियामेंट की सुरक्षा की थी, माननीय सदस्यों की सुरक्षा की थी। जब पोटा कानून लाया गया तो हमारे विपक्षी साथी उसको लाने के पक्ष में नहीं थे और राज्य सभा में वह बिल गिर गया था। उसके बाद यह तीसरा मौका था भारतीय संसद के इतिहास में, संसदीय इतिहास में जब ज्वाइंट सेशन में, राज्य सभा, लोक सभा से पोटा पास हुआ। जब पोटा संसद से पास होकर लागू हुआ, उसके बाद आतंकवाद में रुकावट आई, आतंकवादियों में डर पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही 2004 में डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, वह पोटा कानून वापस ले लिया गया। उसके बाद जो देश में आतंकवाद फैला, महोदय, उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जरूर कहूंगा। अभी हमारे एक कांग्रेसी मित्र बैठे थे, वे अभी चले गए। जब 26/11 को अटैक हुआ, तो वे मुम्बई गए और वे कहते रहे कि यह पाकिस्तानियों द्वारा नहीं किया गया है, यह तो आरएसएस के द्वारा किया गया है, बजरंग दल द्वारा किया गया है।

उन्होंने अजीत बर्नी से एक पुस्तक लिखवाई, जिसका नाम था 'आरएसएस की साजिश - 26/11'। वे खुद दिल्ली गए और दिल्ली और मुंबई में उसका विमोचन किया। कई पुराने कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा, सभी ने कहा कि नहीं, इसमें उनका हाथ नहीं है, जबकि कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा जा चुका था और उसे फांसी की सजा भी हुई।

महोदय, देश में जो ब्लास्ट्स हुए, उनमें दिल्ली का सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, बाटला हाउस, यहां का हाई कोर्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट शामिल हैं। महोदय, 26 जुलाई, 2006 को मुंबई में serial train blast हुआ था, जिसमें 209 व्यक्ति मारे गए थे। इनके अलावा ओपेरा हाउस ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, हैदराबाद में गोकुल चाट ब्लास्ट, बुद्ध मंदिर ब्लास्ट, मोदी जी की रैली में 2013 में पटना में ब्लास्ट, यूपी का कचहरी ब्लास्ट, काशी में तीन ब्लास्ट आदि भी शामिल हैं।

महोदय, ये जो तमाम ब्लास्ट्स हुए थे, ये उस समय की यूपीए सरकार की देन थे। दुखद बात यह थी कि कानून समाप्त कर दिया गया था और आतंकवाद को रोकने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण इसको भगवा आतंकवाद का एक शब्द दिया। उन्होंने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण ऐसा किया, जिससे कि वे पावर में आ सकें, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आज कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो रहा है।

महोदय, मैं दूसरी बात organised crime पर कहना चाहता हूं। Organised crime में तमाम माफिया हैं। ये हर स्टेट में हैं, उनकी parallel economy है और उस parallel economy के लिए, उसको crush करने के लिए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करने के कोई कानून नहीं था। महोदय, कुछ जगहों पर special Acts थे, जैसे उत्तर प्रदेश में Uttar Pradesh Gangsters Act, महाराष्ट्र में मकोका, इनका इस्तेमाल हुआ और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितने माफिया हैं, वे सभी जेलों में बंद हैं। इसके अलावा उनकी संपत्तियाँ, जो हज़ारों करोड़ रुपये में हैं, उनको confiscate किया गया है। आज यही कारण है कि जब एक आदर्श शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तब निवेश आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 36 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया। आज भारत में निवेश ही निवेश है।

महोदय, जब यहाँ पर आतंकवाद था, ब्लास्ट होते थे, तो विदेशों से एडवाइज़री जारी होती थी कि भारत सुरक्षित देश नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती थी, तो यहाँ कोई विदेशी निवेश करने नहीं आता था, टूरिज्म नहीं होता था और हमारी tourism industry बैठ गई थी। महोदय, आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर और organised crime पर zero tolerance नीति है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में bright spot है। आज जो हमारा 7.6 परसेंट ग्रोथ रेट है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर आतंकवाद और क्राइम के प्रति zero tolerance नीति है। देश में इसकी व्यवस्था की गई है।

महोदय, अब मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगा। देश में एक अपराध बहुत होता है, जो कि चेन स्नैचिंग है। किसी ने पर्स स्नैच कर लिया, चेन स्नैच कर ली, लेकिन इसके लिए आईपीसी में कोई स्पेसिफिक धारा नहीं थी। ऐसे केसेज़ में यह होता था कि कभी चोरी में लिख दिया, कभी वहाँ गए, तो कह दिया कि सिर्फ लिखकर दे दो आदि-आदि। लेकिन अब स्नैचिंग जैसे अपराध के निदान के लिए आईपीसी में एक अलग धारा लाई गई है। महोदय, यह प्रयास स्वागत योग्य है।

महोदय, मैं अब मॉब लिंचिंग पर आता हूं। हमारी विरोधी पार्टियाँ मॉब लिंचिंग पर बहुत हल्ला करती हैं और अगर कहीं यह बीजेपी शासित राज्य में हो गई, तब तो वे छत से चिल्लाते हैं। वे यहाँ तक करते हैं कि एक बैकवर्ड व्यक्ति को दलित बना देते हैं। मुझे मालूम है कि ऐसा एक वाकया वेमुला केस में हुआ था। उन्होंने ऐसा ही हल्ला किया था। ऐसी पार्टियाँ, जो मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत चिल्लाती थीं और कांग्रेस पार्टी रूल्ड थी, लेकिन वह कभी कोई कानून नहीं लाई।

महोदय, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुईं, 1984 में जब यहाँ दिल्ली में सिखों पर खासकर अत्याचार हुए, और प्रदेशों में भी अत्याचार हुए, जिनमें 3 हज़ार लोग मारे गए थे, वह क्या था? वह मॉब लिंचिंग ही थी, लेकिन ये उस पर नहीं बोलेंगे। और तो और, उनमें इनकी पार्टी के जो नेता शामिल थे, इन्होंने उन्हें भी कानून के कटघरे में लाकर खड़ा नहीं किया। महोदय, इनके कार्यकाल में दंगे होते थे, बड़े-बड़े दंगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ। वहाँ पर 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ, 1987 में मेरठ दंगा हुआ। असम में नेल्ली दंगा हुआ। दुनिया

भर में दंगे-फसाद, मॉब लिंचिंग होती थी, लेकिन इन्होंने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। कश्मीर के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। ये मॉब लिंचिंग पर कभी कानून नहीं लाए, क्योंकि ये हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आज मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग जैसा एक कानून लाए हैं।

इसके बाद death caused by negligence and rash driving आता है। महोदय, अंग्रेजों के समय में एक कानून बना – धारा 304ए। गाड़ियाँ उन्हीं के पास थीं, बड़े-बड़े जमींदारों और राजाओं के पास थीं। उस समय यह होता था कि एक्सीडेंट में दो को मार दो, चार को मार दो, लेकिन सजा थाने से ही बेलेबल थी और केवल दो साल की सजा थी। महोदय, अब इसे काफी कड़ा कर दिया गया है। अब इसमें दो साल से पाँच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कम्युनिटी सर्विस का लाया गया है। हमारी तमाम जेलों में जो कैदी हैं, वे ज्यादातर गरीब घरों के होते हैं, वे छोटे-छोटे अपराधों में बंद हैं, उनके पास जमानत का पैसा नहीं होता है। आज यह कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान लाया गया है, आप इसे दंड के रूप में कहिए या न्याय के रूप में कहिए, इससे अब वे सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस करेंगे। आप स्कूलों में मालीगिरी करा लीजिए, चौकीदारी करा लीजिए - इसे राज्य सरकारें डिफाइन करेंगी। इस प्रकार कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान लाया गया है।

सर, एक शब्द था - Lunatic. वह बड़ा डेरोगेटरी वर्ड था, उसकी जगह पर अब मेंटल इल्नेस लाया गया है।

महोदय, जब भारत की सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी पर बात आती है, जो सीधे टेररिज्म और तमाम चीज़ों से जुड़ी होती है, तब इनका हाथ हमेशा पीछे हो जाता है।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह खत्म हुआ, जिसे हम राजद्रोह कहते हैं - इसमें व्यक्ति प्रधान होता था, अब हम देशद्रोह लाए हैं। देश की सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं अपने गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है।

महोदय, ये कुछ salient प्वाइंट्स थे, जिन्हें मैंने भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में बताया है। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे अंग्रेजों ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम दिया था, के संबंध में बताना चाहूँगा। महोदय, इसमें कितनी धाराएं बदली गईं, कितनी जोड़ी गईं, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है। एक नागरिक को एफआईआर लिखवाने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अगर कहीं ज्यूरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट हो गया, तो आप दो प्रदेशों के बीच की बात तो छोड़िए, बल्कि उसे जिलों में भी दौड़ना पड़ता था कि वह एफआईआर कहाँ लिखवाए। पहली बार इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो एफआईआर का प्रोविजन किया गया है। एफआईआर कहीं भी लिखवा सकते हैं। 24 घंटे में वह एफआईआर संबंधित थाने पर पहुंच जाएगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। महोदय, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है! पहली बार इस कॉंसेप्ट को कानून में लाया गया है। इसके साथ ही, एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

महोदय, फूड, ड्रग में एडल्ट्रेशन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो दूध पीते हैं या कोई सब्जी खाते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता है कि वह एडल्ट्रेटेड है या नहीं। इसे बहुत कम महत्व

दिया जाता था। इसके लिए मेक्सिमम छः महीने की सजा थी। जब छः महीने की मेक्सिमम सजा है, तो कोर्ट उसे महीने भर की सजा दे दे या कुछ फाइन लगा दे, लेकिन अब इसे कड़ा बनाया गया है। छः महीने की जो मेक्सिमम सजा थी, उसे मिनिमम कर दिया गया है और इसे अपराध के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। पुलिस पर एक सबसे बड़ा आरोप सर्च और सीज़िंग का लगता है कि साहब, यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पुलिस ने इतना दिखाया, बाकी अपने पास रख लिया, लेकिन अब जितनी भी सर्च, सीज़ और कुर्की होगी, उन सबकी वीडियोग्राफी का प्रोविजन किया गया है।

महोदय, यह transparent है और अब कोई आदमी यह आरोप नहीं लगा सकता है, तो यह transparency के लिए लाया गया है और एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद forensic science का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हमारे यहां conviction rate बहुत कम है। जब तक पुलिस जाती है, तब तक scene disturb हो जाता है। हम वहां से finger print उठाते हैं और भेजते हैं, तब तक तमाम चीज़ों में बदलाव हो जाता है। अब जहां सात वर्ष से ज्यादा की सज़ा होगी, वहां forensic team का जाना must है - यह इस कानून में प्रोविज़न किया गया है। इसके लिए हर जिले में forensic lab की वैन चलेगी। इसके लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय, National Forensic Science University है और 7 State Universities खोली गई हैं तथा दो Training centres हैं। इनमें 35,000 Scientists और forensic experts ट्रेन्ड होंगे और कुछ ही वर्षों में हम पूरे देश में forensic experts पहुंचा देंगे। इसके अलावा वह वैन पहुंचेगी, जांच होगी और वह कोर्ट में डिजिटल तरीके से जाएगा। कन्विक्शन रेट में हमारा जो लक्ष्य हमारे गृह मंत्री जी ने रखा है - 90 प्रतिशत, उसे हम जरूर प्राप्त करेंगे। महोदय, महत्वपूर्ण केसेज़ में जांच डिप्टी एसपी या उससे उच्च अधिकारी को दी चुकी है, इसका भी प्रोविज़न है।

महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय होता है - इन्वेस्टिगेशन में डिले। अब एफआईआर कायम हुई, तो 90 दिन में चार्जशीट लगाना अनिवार्य किया गया है और यदि किसी कारण 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगाई जाती, तो कोर्ट के आदेश से उसमें 90 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन 180 दिन में चार्जशीट लगना अनिवार्य है। इसके अलावा जब पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भेजती थी, तो वह पड़ी रहती थी, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता था, लेकिन अब अगर चार्जशीट चली गई, तो कोर्ट के लिए अनिवार्य होगा कि 120 दिन में चार्ज फ्रेम करे और उसका ट्रायल शुरू हो। जब ट्रायल शुरू होता था, तो जो डिफेंस के वकील होते थे, उनकी तबियत खराब हो जाती थी। महोदय, दो-दो, तीन-तीन दर्जन adjournment लिए जाते थे और वह पीरियड ऐसा होता था, जिसमें जो दबंग होता था, माफिया होता था, वह गवाह तोड़ लेता था, उन्हें धमका लेता था, विन ओवर कर लेता था। अब प्रोविज़न आया है कि दो से ज्यादा स्थगन आदेश, adjournments नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए इससे ट्रायल में तेजी आएगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा।

महोदय, कोर्ट्स में केस की सुनवाई खत्म हो गई, जजमेंट रिज़र्व हो गया और वह पड़ा रहता था। अब अदालत के लिए यह प्रोविज़न किया गया है कि जब सुनवाई खत्म होगी, तो 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा। आप देखेंगे कि न्यायालय में मुकदमों का भार कम क्यों होगा - चूंकि हम समरी ट्रायल लाए हैं। कई केसेज़, लगभग 40 परसेंट केसेज़ समरी ट्रायल में खत्म हो जाएंगे। अब हमारे न्यायालयों पर बोझ नहीं रहेगा और वे जघन्य केसेज़ पर समय दे सकेंगे। एक

अपेक्षा की गई और वह 100 परसेंट सही होगी कि अब तीन साल से ज्यादा कोई भी केस न्यायालय में पेंडिंग नहीं रहेगा और न्याय होगा।

महोदय, बीस-बीस सालों से केसेज़ पड़े हैं। मैं एक केस के बारे में बताना चाहता हूं, सब उसके बारे में जानते होंगे - बेहमई केस। यह वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी, 1981 को हुआ था। मैं बगल के जिले जालौन में एडिशनल एसपी था। उस केस में आज तक जजमेंट नहीं आया है। उसमें 38 मुल्ज़िम थे। उनमें से करीब 34 एन्काउंटर में मारे गए या मर गए और केवल चार बचे हैं। आज तक उस केस में जजमेंट नहीं आया है। उसकी जो मेन अभियुक्त थीं, वह सांसद भी बन गई थीं, उनकी हत्या भी हो गई थी, लेकिन उनमें से चार लोग बचे हैं और जो उनमें मेन था - मान सिंह, वह बचा है। जो उनका हसबैंड था, आज तक कुछ नहीं हुआ, एक पार्टी ने उनको माननीय बनाया और न्यायालय से पुलिस की केस डायरी गायब कर दी गई। अब वहाँ पर फोटो कॉपी तो है, लेकिन जज साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज 40 वर्ष से ऊपर समय हो गया है। आज जो नया कानून आ रहा है, उसमें अब यह नहीं होगा। महोदय, इसमें गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, पहले जो केस प्रॉपर्टी पकड़ी जाती थी, गाड़ी पकड़ी जाती थी, एक्सिडेंट में गाड़ी टूट गई, तो हमारे थाने जंक यार्ड बन जाते थे। उनके डिस्पोजल की सुविधा नहीं थी, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, अपील में है, तब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता था। अब जो प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार वह जो प्रॉपर्टी है, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसको डिजिटली कोर्ट में दिया जाएगा और अब वह प्रॉपर्टी ऑक्शन हो सकती है। इससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और हमारे जो थाने हैं, जो जंक यार्ड बन चुके थे, वे इससे मुक्त होंगे।

महोदय, अब मैं लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट के बारे में बताता हूँ। सीनियर ऑफिसरों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगनी है, लेकिन गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी था। जिनकी संबंधित सरकारें होती थीं, वे सरकारें सैंक्शन नहीं देती थीं। वह पड़ा हुआ है, आप लिखते रहिए। सीबीआई चार्जशीट स्तर पर पहुँच गई, लेकिन राज्य सरकारें उसमें अनुमति नहीं दे रही हैं। अब यह प्रावधान किया गया है कि अगर 120 दिन में सैंक्शन नहीं मिलता, तो मान लिया जाएगा कि it is a deemed sanction और उस भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट लगाई जा सकेगी।

महोदय, हथकड़ी लगाना हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहा। महोदय, मैं तो खुद पुलिस अधिकारी रहा हूँ। आज ऐसा होता है कि हथकड़ी न लगाने के कारण मुल्जिम एस्केप हो जाता है और पुलिस के जो जवान होते हैं, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 224 के तहत मुकदमा कायम हो जाता है। अब इसमें आर्थिक अपराधों को छोड़ कर जो जघन्य केस के अपराधी हैं, उनके लिए हथकड़ी लगाने का प्रोविजन किया गया है। महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ।

महोदय, 'प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर', यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े-बड़े अपराधी क्राइम किए बैठे हैं। चूँकि वे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो उनका ट्रायल नहीं हो पाता था। अब trial *in absentia* हो सकता है, उनको सजा दी जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा सकती हैं। महोदय, यह जो प्रोविजन लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, ताकि मैं साक्ष्य अधिनियम पर कुछ बोल सकूँ। महोदय, यह तीसरा अधिनियम है - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023. इसमें तमाम गुलामी के काल के शब्द थे। वे शब्द क्या थे - "'Parliament of UK, Notification by Crown

Representative, Any Dominion, Colony, possession of her Majesty, Her Majesty or Privy Council, Her Majesty's Government and possession of British Crown". ये जो all the colonial words थे, इस एविडेंस एक्ट में उन सबको निकाल दिया गया है। ये जो गुलामी के चिह्न थे, ये समाप्त हो गए हैं।

महोदय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान है। आज हर चीज में क्राइम होता है, तो कहीं न कहीं हम सबसे पहले टेलीफोन की, मोबाइल की ही बात करते हैं कि वह मिल जाए, तो हम उसको एनालाइज़ करके मुल्जिम तक, जितने लोग उसमें शामिल हैं, उन तक पहुँच सकते हैं। उन सबको दस्तावेज की श्रेणी में लाया गया है। साथ ही साथ, हमें जो एविडेंस मिलेगा, वह सेकंडरी होगा। उसमें कोई घपला न हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसका एक अधिकारी होगा, जो उसको देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, तब कोर्ट में उसमें मान्यता होगी।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम सभी उस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। महोदय, मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। आज उस गरीब घर के बच्चे को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन आपने बोलने का मौका दिया। यह मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण दिन वह दिन भी था, जब मुझे होम अफेयर्स कमिटी का चेयरमैन बनाया गया था। महोदय, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इन बिल्स पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, खास कर अमित शाह जी, जिन्होंने इन बिल्स को बनवाने में चार साल मेहनत की, जिन्होंने खुद 183 मीटिंग्ज़ अटेंड की। उन्होंने पूरे देश के जितने विद्वान थे, उनसे परामर्श किया। उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी एमपीज़ को, सभी वाइस-चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सबको पत्र लिखे। पत्र लिखने के बाद जो तमाम सुझाव आए, उनके कमेंट्स आए, उनके इनपुट्स आए, उन सबको मिला कर उन्होंने चार साल में ये बिल्स तैयार किए, 11 अगस्त, 2023 को पेश किए और आज ये राज्य सभा से पास होकर कानून बन जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत!

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December, 2023, has agreed without any amendment to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment,